न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील इन्तकाल संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/54/16	20–09–2016	21–05–2018

1. लालवती बेवा लीलू
2. सरोज पुत्री लीलू
3. पूनम पुत्री लीलू
4. प्रताप पुत्र लीलू जातियान चमार निवासीयान कहरानी तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती सबरा पत्नी जयमल जाति चमार निवासी भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार टपूकडा दिनांक 01–10–2005 बाबत इन्तकाल संख्या 1015 वाके ग्राम कहरानी तहसील तिजारा।

उपस्थितः–

01. श्री संजीव जैन –वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट्स ने यह अपील नायब तहसीलदार टपूकडा के आदेश दिनांक 01–10–2005 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 1015 वाके ग्राम कहरानी तहसील तिजारा स्वीकार किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन इंतकाल में वर्णित आराजी का खातेदार अपीलार्थीगण के पिता लीलू पुत्र धन सिंह था जिनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलार्थीगण के पिता लीलू ने अपनी अन्य खातेदारी की आराजी का बेचान रैस्पा0 संख्या 1 को किया था, रैस्पा0 संख्या 1 ने तथाकथित बयनामा में हाथ से विवादित आराजी को भी अंकित करा लिया जबकि मृतक लीलू ने विवादित आराजी का कोई बेचान न तो रैस्पा0 को किया था न ही रकम प्राप्त की थी। बयनामा दिनांक 16.6.2005 पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 208 में पृष्ठ सं0 39 क्रम सं0 2005001839 के द्वारा पंजीबद्व कराया है, जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 410 रकबा 0.81 है0 के 0.70 है0 में से 1/3 भाग का 1/2 भाग वाके ग्राम कहरानी का वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश भिवाडी जिला अलवर में जिला अलवर द्वारा स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 01.06.2016 के विवादित बयनामा दिनांक 16.6.2005 को निरस्त किये जाने का निर्णय व डिक्री किया गया है। अपीलार्थीगण को जानकारी में आया कि रैस्पा0 संख्या 1 द्वारा विवादित बयनामा दिनांक 16.6.2005 के आधार

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पर अपीलाधीन इंतकाल को तहत अदालत से दर्ज व स्वीकार करा लिया है। तहत अदालत ने गलत तथ्यों के आधार पर अपीलीय इंतकाल खोला गया है व बिना किसी सुनवाई एवं जॉच पडताल के खोला गया है, वह खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम दिनांक 31–08–2016 को हुई जिस पर नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ अपील पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलीय आदेश दिनांक 01–10–2005 के विरूद्ध दिनांक 20–09–2016 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 31–08–2016 होना जाहिर किया है। रैस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हो। अपीलान्ट के कथनो पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन इंतकाल तहत अदालत द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर खोला गया है, तथा बिना सुनवाई व किसी जांच किये बिना दर्ज व स्वीकार किया है, विवादित बयनामा दिनांक 16.6.2005 का न्यायालय सिविल न्यायाधीश भिवाडी जिला अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.06.2016 को निरस्त किया जा चुका है।

अपीलाधीन इंतकाल का अवलोकन किया गया इंतकाल के कॉलम संख्या 3 में खसरा नम्बर 410 रकबा 0.81 है0, के 70 है0 में से 1/3 में से 1/2 भाग वाके कहरानी का तथाकथित बयनामा दिनांक 16.6.2005 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश भिवाडी ने अपने आदेश दिनांक 01.06.2016 से निरस्त किया गया है, जिससे जाहिर है कि बयनामा के अनुसार तहत अदालत ने इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं तहत अदालत का आदेश दिनांक 01–10–2005 इंतकाल संख्या 1015 ग्राम कहरानी तहसील तिजारा का निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित मौका देकर एवं न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.2016 के परिपेक्ष्य के अनुसार गुणावगुण पर यथासम्भव एक माह में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21–05–2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)